न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड़
R.A.S

अपील सं 27/2015

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल मीणा उम्र 68साल जाति मीणा निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना

अपीलान्ट -

बनाम

1. कमली देवी पुत्री बनवारीलाल मीणा पत्नी भागचन्द मीणा उम्र 55 साल जाति मीणा निवासी जाखलनगर श्रीमाधोपुर जिला - सीकर

2. लजना देवी पुत्री बनवारीलाल मीणा पत्नी किशन मीणा उम्र 53 साल जाति मीणा निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला - सीकर

3. ग्राम पंचायत सिरोही तहसील नीमकाथाना

4. हल्का पटवारी सिरोही तहसील नीमकाथान

रेस्पोडेन्टस

5. अशोक कुमार पुत्र बनवारीलाल उम्र 48साल जाति मीणा निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना

- तरतीबी रेस्पो० -

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20-8-2015 ग्राम पंचायत सिरोही नामा० सं 274 ग्राम सिरोही

उपस्थित: श्री मुरारीलाल यादव एड० - अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 13-10-2017

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है

उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)

कि राजस्व ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीम-काथाना के भूमि ख०नं० 2096 रकबा 4.46 है० में 1/5 हि० की खातेदारी स्व० बनवारी पिता रूपीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसका देहान्त होने पर कानूनी प्रावधानो के अनुसार 1/5 हि० की विरासत रूपीलाल की माता स्व० धापली रूपीलाल व रेस्पो० 5 के हक में खोली गयी तत्पश्चात रूपीलाल की माता धापली देवी का देहान्त होने पर विरासत का नामा सं 274 पटवारी हल्का ने भरकर ग्राम पचायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसने ग्राम पचायत ने बिना विधिक प्रक्रिया के दिनांक 20-8-15 को स्वीकार करने बाबत आदेश पारित किया है। अधिनस्थ ग्राम पचांयत का विवादित आदेश विधि के मान्य सिद्धान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पो० सं 1 व 2 स्व० बनवारीलाल की जायन्दा पुत्रीया है जिनको उत्तराधिकार अधिनियम के तहत शादी के पश्चात कोई हक प्राप्त नही होता किन्तु ग्राम-पचांयत ने इस तथ्य पर बिना गम्भीरता से मनन किये - कानूनी प्रावधानो की अवहेलना कर विवादित आदेश पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। अत: ग्राम पचांयत का आदेश संशोधित किये जाने योग्य है। रूपीलाल के पिता बनवारी लाल का देहान्त होने पर उसकी विरासत के आधार पर खातेदारी कानूनन रूप से सही भरी गई थी। जिसमे मृतक बनवारीलाल की पत्नी एवं दो जायन्दा पुत्र के नाम नामा० भरा जाकर स्वीकार किया गया था। उक्त नामा० की बाबत रेस्पो० सं 1 व 2 को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद पूर्व मे भी कोई उज्र विरासत बाबत नही किया गया था। ग्राम पचांयत ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो कब्जे की बाबत जाच की ना ही रूपीलाल को कोई सुनवाई का मौका दिया ना ही कोई नोटिस दिया। विवादित आदेश संशोधित होने योग्य है। रूपीलाल को विवादित आदेश की बाबत जानकारी दिनांक 1.9.2015 को होने पर दिनांक 2.9.2015 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 2.9.2015 को ही नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अत: अपील रूपीलाल स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ ग्राम पचांयत सिरोही का आदेश दिनांक 20-8-2015 बाबत नामा० सं 274 अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो० 1 व 2 का नाम विलोपित फरमाया जाकर रूपीलाल व रेस्पो० नं० 5 के नाम भरे जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील रूपीलाल पेश होने पर रेस्पो० को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो० 3,4,5 बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

तामिल अनुपस्थित रहे। रेस्पो० सं 1 व 2 कि ओर से अपनी सहमति के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये जाकर बहस वकील अपीलान्ट एक पक्षीय सुनी गई।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं ग्राम पचांयत सिरोही का आदेश दिनांक 20-8-2015 बाबत नामा० सं 274 को अपास्त कर विरासत का नामा० अपीलान्ट व रेस्पो० सं 5 के नाम भरे जाने का निवेदन किया। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने नजीर पेश की।

बहस वकील अपीलान्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत नामा० सं 274 का का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 20-8-2015 विरासत से रामस्वरूप अशोक पि० बनवारीलाल कमली देवी सजना पुत्रीया बनवारीलाल हि० 1/15 जाति मीणा स्वीकार हुआ शेष बदस्तूर रहा। यह सही है कि इससे पूर्व मु० दाखली बेवा बनवारीलाल, रामस्वरूप अशोक कुमार पि० बनवारीलाल हि० 1/5 का स्वीकृत हुआ था। इन दोनो नामा० से यह तो स्पष्ट है कि बनवारी लाल के फौत होने पर जो नामा० विरासत का भरा गया था जिसमें पुत्रीयो का नाम अंकित नही था। परन्तु विरासत का नामा० सं 274 जो भरा गया जिसमे पुत्रीयो का नाम अंकित किया गया है। रेस्पो० सं 1 व 2 ने अपने अलग - अलग शपथ पत्र जो नोटेरी से तस्दीक है जो पेश कर शपथ पत्रो मे अंकित किया कि हमारे हिस्से की भूमि हिस्सेनुसार हमारे भाईयो के नाम दर्ज कर दी जावे जिस बाबत सहमति जताई गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पन्चांयत द्वारा आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को कोई नोटिस व सूचना नही दी गई। ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पन्चांयत ने कोई सूचना दी हो या कब्जे की जाच की हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पन्चांयत द्वारा आदेश पारित करते समय कानूनी भूल की है। "वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर मे भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जनजाति समुदाय की शादीशुदा पुत्रीयो का पिता की सम्पति मे कोई हक नही मिलता है।" इस आधार से वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर भी इस प्रकरण पर शब्दशः चस्पा होती है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सिरोही का आदेश दिनांक 20-8-2015 बाबत नामा० सं 274 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि नामा० अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं 5 के नाम पुनः दर्ज कर फैसला करें।

निर्णय आज दिनांक 13-10-2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)